



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 448 वर्ष 2026

विनेन्द्र कुमार पाठक

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : दिलीप कुमार उपाध्याय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. श्री दिलीप कुमार उपाध्याय, विद्वान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एवं श्री जितेन्द्र प्रसाद, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, राज्य के पक्षकार, को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह पुलिस सिपाही है और चिकित्सकीय आधार पर जिला गाजीपुर से जिला एटा, मेरठ या मथुरा में स्थानांतरण की मांग करता है।
3. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के दावे का निवारण द्वितीय प्रत्यर्थी, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (स्थापना), उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जाएगा।
4. उपरोक्त प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, याचिका को यह निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता दिनांक 30.01.2026 तक याचिका की स्व-प्रतिलिपि और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ विस्तृत प्रतिनिधित्व द्वितीय प्रत्यर्थी, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (स्थापना), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत करे। इसके पश्चात्, द्वितीय प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता के दावे का निवारण दो महीनों के भीतर करे, पात्रता, योग्यता और यदि कोई प्रतिस्पर्धी दावे हों, उनका भी ध्यान रखते हुए।

19 जनवरी, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।